संख्या-7/2015/18सी0डी0/46-3-15-1000(72)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 02 फरवरी, 2015

विषयः- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-23 (आयोजनागत) के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत (द्वितीय किश्त) की धनराशि रू0 650.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2122ए-सी0डी0/46-3-14-1000(72)/2013, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 एवं संख्या-2358सी0डी0/46-3-14-1000(72)/2013, दिनांक 26 सितम्बर, 2014, जिसके द्वारा गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान संख्या-23 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 13,00,00,000.00 (रू0 तेरह करोड़ मात्र) की कार्ययोजना/कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 प्रतिशत (प्रथम किश्त) की धनराशि रू0 6,50,00,000 (रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान संख्या-23 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि रू0 13,00,00,000.00 (रू0 तेरह करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत (द्वितीय किश्त) की धनराशि रू0 6,50,00,000 (रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र) को, संलग्नक में अंकित जनपदवार/ कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये लक्ष्य/फांट के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास की योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043 सी0डी0/46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) के तथा शासनादेश संख्या-595/सी0डी0-46-3-14-1000(14), दिनांक 28 फरवरी, 2014 में अल्पसंख्यकों के लिये 20 प्रतिशत मात्राकृत/निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014- 231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/ आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति, दिनांक 31.03.2015, से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

5- आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय नियमानुसार सक्षम स्तर की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

6- योजना में निहित राज्य/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/ वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

7- जनपदवार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवंटित परिव्यय के अधीन ही व्यय किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैक/पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-23 (आयोजनागत) के अधीन लेखा शीर्षक ''2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-108-वाणिज्यिक फसलें-06- गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(9) में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-7/2015/18(1)सी0डी0/46-3-15-1000(72)/2013,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5- सम्बन्धित जनपदों के समस्त कोषाधिकारी।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
8- समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
9- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
10- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-7/2015/18सी0डी0/46-3-15-1000(72)/2013, दिनांक फरवरी , 2015 का संलग्नक

गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-23 (सामान्य आयोजनागत) के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्यक्रमवार/जनपदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत (द्वितीय किस्त) एवं अल्पसंख्यको हेतु 20 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति हेतु।

क्र0 स0	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण		प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण		अभिजनक बीज यातायात		आधार बीज यातायात		मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम		पेड़ी प्रबंधन		बायोफर्टीलाइजर/ वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग		वित्तीय योग		कुल योग
		सामान्य	अल्प सं0	सामान्य	अल्प सं0	सामान्य	अल्प सं0	सामान्य	अल्प सं0	सामान्य	अल्प सं0	सामान्य	अल्प सं0	सामान्य	अल्प सं0	सामान्य	अल्प सं0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सहारनपुर	78400	19600	391200	97800	2400	600	10800	2700	752400	188100	228000	57000	815200	203800	2278400	569600	2848000
2	मुजफ्फरनगर	100800	25200	504800	126200	3200	800	14000	3500	970800	242700	294000	73500	1052000	263000	2939600	734900	3674500
3	शामली	42400	10600	212800	53200	1200	300	6000	1500	409200	102300	123600	30900	443200	110800	1238400	309600	1548000
योग मण्डल		**221600**	**55400**	**1108800**	**277200**	**6800**	**1700**	**30800**	**7700**	**2132400**	**533100**	**645600**	**161400**	**2310400**	**577600**	**6456400**	**1614100**	**8070500**
4	मेरठ	83000	20750	417000	104250	2360	590	11600	2900	801200	200300	242800	60700	868840	217210	2426800	606700	3033500
5	गाजियाबाद	12800	3200	63600	15900	400	100	1600	400	122400	30600	37200	9300	132800	33200	370800	92700	463500
6	बुलन्दशहर	46800	11700	234400	58600	1200	300	6400	1600	450400	112600	136400	34100	488400	122100	1364000	341000	1705000
7	बागपत	52000	13000	259600	64900	1600	400	7200	1800	499200	124800	151200	37800	541200	135300	1512000	378000	1890000
8	हापुड़	22000	5500	108800	27200	800	200	3200	800	209600	52400	63200	15800	226800	56700	634400	158600	793000
योग मण्डल		**216600**	**54150**	**1083400**	**270850**	**6360**	**1590**	**30000**	**7500**	**2082800**	**520700**	**630800**	**157700**	**2258040**	**564510**	**6308000**	**1577000**	**7885000**
9	बिजनौर	160400	40100	802000	200500	4800	1200	22400	5600	1542400	385600	466800	116700	1671200	417800	4670000	1167500	5837500
10	रामपुर	28000	7000	139200	34800	800	200	4000	1000	268000	67000	81200	20300	290000	72500	811200	202800	1014000
11	मुरादाबाद	44800	11200	225200	56300	1200	300	6400	1600	432800	108200	131200	32800	468800	117200	1310400	327600	1638000
12	अमरोहा	53600	13400	268400	67100	1600	400	7600	1900	516400	129100	156400	39100	559600	139900	1563600	390900	1954500
13	सम्भल	7600	1900	37200	9300	400	100	1200	300	71600	17900	22000	5500	77600	19400	217600	54400	272000
योग मण्डल		**294400**	**73600**	**1472000**	**368000**	**8800**	**2200**	**41600**	**10400**	**2831200**	**707800**	**857600**	**214400**	**3067200**	**766800**	**8572800**	**2143200**	**10716000**
14	अलीगढ़	13200	3300	66000	16500	400	100	2000	500	126800	31700	38400	9600	137200	34300	384000	96000	480000
15	मथुरा	800	200	2800	700	200	50	200	50	5600	1400	1600	400	6000	1500	17200	4300	21500
16	बरेली	80800	20200	403600	100900	2400	600	11200	2800	776800	194200	235600	58900	841600	210400	2352000	588000	2940000
17	पीलीभीत	73200	18300	366000	91500	2000	500	10400	2600	704000	176000	213200	53300	762800	190700	2131600	532900	2664500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	शाहजहापुर	53200	13300	266800	66700	1600	400	7200	1800	513200	128300	155200	38800	556000	139000	1553200	388300	1941500
19	बदायू	26000	6500	130800	32700	800	200	3600	900	252000	63000	76400	19100	273200	68300	762800	190700	953500
20	कासगंज	8800	2200	44400	11100	200	50	1200	300	85200	21300	25600	6400	92400	23100	257800	64450	322250
योग मण्डल		**256000**	**64000**	**1280400**	**320100**	**7600**	**1900**	**35800**	**8950**	**2463600**	**615900**	**746000**	**186500**	**2669200**	**667300**	**7458600**	**1864650**	**9323250**
21	फरूखाबाद	12400	3100	62000	15500	400	100	1600	400	119200	29800	36000	9000	129200	32300	360800	90200	451000
22	कानपुर	7200	1800	35200	8800	200	50	1200	300	68000	17000	20400	5100	74000	18500	206200	51550	257750
23	रायबरेली	2400	600	11200	2800	200	50	200	50	21200	5300	6400	1600	23200	5800	64800	16200	81000
24	सीतापुर	100000	25000	501200	125300	3200	800	14000	3500	964000	241000	292000	73000	1044800	261200	2919200	729800	3649000
25	लखीमपुर खीरी	193200	48300	967200	241800	5600	1400	27200	6800	1860000	465000	563200	140800	2015600	503900	5632000	1408000	7040000
26	हरदोई	38400	9600	191600	47900	1200	300	5200	1300	369200	92300	111600	27900	399600	99900	1116800	279200	1396000
योग मण्डल		**353600**	**88400**	**1768400**	**442100**	**10800**	**2700**	**49400**	**12350**	**3401600**	**850400**	**1029600**	**257400**	**3686400**	**921600**	**10299800**	**2574950**	**12874750**
27	बाराबंकी	7200	1800	35200	8800	200	50	800	200	68000	17000	20400	5100	74000	18500	205800	51450	257250
28	फैजाबाद	27600	6900	138000	34500	800	200	4000	1000	265600	66400	80400	20100	287600	71900	804000	201000	1005000
29	अम्बेडकरनगर	16400	4100	81200	20300	400	100	2400	600	156000	39000	47200	11800	169200	42300	472800	118200	591000
30	सुल्तानपुर	6000	1500	30800	7700	200	50	800	200	59200	14800	18000	4500	64400	16100	179400	44850	224250
31	जौनपुर	4000	1000	20000	5000	200	50	800	200	38800	9700	11600	2900	42000	10500	117400	29350	146750
32	गाजीपुर	2400	600	12000	3000	200	50	400	100	23200	5800	6800	1700	25200	6300	70200	17550	87750
33	वाराणसी	1600	400	8400	2100	200	50	200	50	16400	4100	5200	1300	17600	4400	49600	12400	62000
योग मण्डल		**65200**	**16300**	**325600**	**81400**	**2200**	**550**	**9400**	**2350**	**627200**	**156800**	**189600**	**47400**	**680000**	**170000**	**1899200**	**474800**	**2374000**
34	बहराइच	67200	16800	336400	84100	2000	500	9600	2400	646800	161700	196000	49000	700800	175200	1958800	489700	2448500
35	गोण्डा	60400	15100	301600	75400	1600	400	8400	2100	580000	145000	175600	43900	628400	157100	1756000	439000	2195000
36	बलरामपुर	72400	18100	361200	90300	2000	500	10000	2500	694400	173600	210000	52500	752800	188200	2102800	525700	2628500
योग मण्डल		**200000**	**50000**	**999200**	**249800**	**5600**	**1400**	**28000**	**7000**	**1921200**	**480300**	**581600**	**145400**	**2082000**	**520500**	**5817600**	**1454400**	**7272000**
37	बस्ती	57600	14400	286800	71700	1600	400	8000	2000	551600	137900	167200	41800	597600	149400	1670400	417600	2088000
38	सिद्धार्थनगर	1600	400	8400	2100	200	50	200	50	15600	3900	4800	1200	17200	4300	48000	12000	60000
39	गोरखपुर	4000	1000	20800	5200	200	50	800	200	39600	9900	12000	3000	43200	10800	120600	30150	150750
40	महराजगंज	15200	3800	76000	19000	400	100	2000	500	146000	36500	44400	11100	158000	39500	442000	110500	552500
योग मण्डल		**78400**	**19600**	**392000**	**98000**	**2400**	**600**	**11000**	**2750**	**752800**	**188200**	**228400**	**57100**	**816000**	**204000**	**2281000**	**570250**	**2851250**
41	कुशीनगर	68000	17000	339600	84900	2000	500	9600	2400	653200	163300	198000	49500	707600	176900	1978000	494500	2472500
42	देवरिया	11600	2900	56800	14200	400	100	1600	400	109200	27300	32800	8200	118400	29600	330800	82700	413500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	मऊ	6800	1700	34800	8700	200	50	800	200	66400	16600	20400	5100	72400	18100	201800	50450	252250
44	आजमगढ़	10400	2600	52800	13200	200	50	1600	400	101200	25300	30800	7700	110000	27500	307000	76750	383750
45	बलिया	3200	800	15200	3800	200	50	400	100	29200	7300	8800	2200	32000	8000	89000	22250	111250
योग मण्डल		**100000**	**25000**	**499200**	**124800**	**3000**	**750**	**14000**	**3500**	**959200**	**239800**	**290800**	**72700**	**1040400**	**260100**	**2906600**	**726650**	**3633250**
सम्पूर्ण योग		**1785800**	**446450**	**8929000**	**2232250**	**53560**	**13390**	**250000**	**62500**	**17172000**	**4293000**	**5200000**	**1300000**	**18609640**	**4652410**	**52000000**	**13000000**	**65000000**

(रूपया छः करोड़ पचास लाख मात्र)

नोटः-जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवन्टित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर,गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in